

14:55 hrs.

## SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of certain castes and tribes."

*The motion was adopted.*

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I introduce the Bill.

14:57 hrs."

METRO RAILWAYS  
(CONSTRUCTION OF WORKS)  
BILL

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the construction of works relating to metro railways in the metropolitan cities and for matters connected therewith.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the construction of works relating to metro railways in the metropolitan cities and for matters connected therewith."

*The motion was adopted.*

PROF. MADHU DANDAVATE: I introduce the Bill.

14:56 hrs.

## MENTAL HEALTH BILL

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखरेख से सम्बन्धित विधि का संशोधन और संशोधन करने के लिये, उनकी सम्पत्ति और कार्यकलापों की जा बेहतर उपबन्ध करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुवंशिक विषयों के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

14:58 hrs.

## MATTERS UNDER RULE 377

## (i) REPORTED CLOSURE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN BIHAR

डा० रामवीर सिंह (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं आप की सेवा में यह वक्तव्य रख रहा हूँ:

यह दुःख एवं दुर्भाग्य का विषय है कि कई महीनों से बिहार में सरस्वती मन्दिर, विशेषकर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय बन्द पड़े हैं। यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बरन, अभिभावकों के हित में भी बुरा नहीं है। सदन को ज्ञात ही है कि बिहार में शिक्षण संस्थाओं की इस भयावहता के पीछे सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में चलता झूठा विवाद है। इस सम्बन्ध में प्रशासन का जो भी राजनीतिक निर्णय हो, किन्तु इसमें हमारे छात्रों का ही प्रत्यक्ष प्रभावण हो रहा है। अतः मैं आचरणीय शिक्षा मंत्री जी से जो राष्ट्र में सभी शिक्षा के सर्वोच्च कर्णधार हैं, आग्रह करता कि इस विद्या में वे अपना अभिक्रम प्रारम्भ करें एवं बिहार जा कर सभी राजनेताओं एवं छात्र नेताओं की एक बैठक बुला कर सरकार के प्रश्न को प्रलग रख कर शिक्षण संस्थाओं को खोलने की विद्या में विचार विमर्श कर समाधान निकालें। मुझे विश्वास है कि 90 प्रतिशत छात्र शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भव दीर्घ